UPGK010023072026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 987/2026,

मनोज विश्वकर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा,
निवासी- रामकृष्ण चौल, कमरा नं0- 7, हनुमान
टेकरी नियर साई बाबा मन्दिर, काजुपाड़ा,
बोरीबली, ईस्ट महाराष्ट्र, मुम्बई। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 104/2023,
धारा- 406,420,504,506,468,471,120 B भारतीय दण्ड संहिता,
थाना- रामगढ़ताल, जनपद- गोरखपुर।

13.03.2026

आदेश

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त मनोज विश्वकर्मा की ओर से अपराध संख्या- 104/2023, धारा- 406,420,504,506,468,471,120 B भारतीय दण्ड संहिता, थाना- रामगढ़ताल, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता नवनीत विश्वकर्मा से सत्येन्द्र विश्वकर्मा ने अपनी कम्पनी के डिलरसीप देने की बातचीत व मुलाकात हुई और कहा कि जिसके लिए प्रथम सूचनाकर्ता को आठ लाख, साठ हजार रूपये जमा करना होगा। प्रथम सूचनाकर्ता ने सत्येन्द्र विश्वकर्मा, विशाल विश्वकर्मा व मनोज विश्वकर्मा के बातो पर विश्वास कर सत्येन्द्र विश्वकर्मा द्वारा दिये गये खाता संख्या- 04120200002102 में भिन्न-भिन्न तिथियों पर कुल आठ लाख, साठ हजार रूपये जरिए बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से भेजा, परन्तु सत्येन्द्र विश्वकर्मा के द्वारा माल नहीं भेजा गया। पैसा वापस मांगने पर मॉ-बहन की गन्दी-गन्दी गाली-गुप्ता देने लगा तथा हत्या करवाने की धमकी देने लगा। प्रथम सूचनाकर्ता का पैसा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर आठ लाख साठ हजार रूपये हड़प लिया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रथम

सूचनाकर्ता से कोई लेन-देन नहीं किया गया है। प्रकरण में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा आपराधिक षणयन्त्र कर प्रथम सूचनाकर्ता का आठ लाख साठ हजार रूपये फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर व धोखाधड़ी कर हड़प लिया गया। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त व अन्य सह-अभियुक्तो के विरूद्ध धारा-406,420,504,506,468,471,120-बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। दौरान विवेचना आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अग्रेतर विवेचना कर कोई साक्ष्य संकलन किया जाना शेष नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त विशाल विश्वकर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/ अभियुक्त को **अमन प्रीत सिंह बनाम सी०बी०आई० जरिये डायरेक्टर 2021 ए०सी०सी० आनलाईन एस०सी० 941** व **सत्येन्द्र कुमार अंटिल प्रति केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो व अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सशर्त अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदक/अभियुक्त मनोज विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को सम्बन्धित थानाध्यक्ष/न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन मुबलिग 25,000/-रूपये का स्वबन्ध पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाय-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

2- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

3- यदि आवेदक/अभियुक्त के पास पासपोर्ट है, तो वह उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा।

4- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

5- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

6- आवेदक/अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।

7- आवेदक/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
13 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.13 16:19:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court